प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 16.05.2025

- **थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा गम्भीर अपराध (जान से मारने की नीयत से की गयी फायरिंग) में वांछित 01 नफर अभियुक्त को 24 घण्टे के अन्दर 01 अदद तमंचा 315 बोर व एक नाल में फंसा हुआ खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री हरीश चन्दर के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द मिश्र के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी व अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए थाना मंगलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 200/2025 धारा 109(1)/115(2)/125/352/351(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अजय सिंह उर्फ सत्तू सिंह पुत्र सरनाम सिंह उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम सिंहपुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात को दिनांक 15.05.2025 को रुरा रोड ग्राम खम्हैला पेट्रोल पम्प से करीब 250 मीटर रुरा की तरफ थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात से समय 22.15 बजे गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं, शीघ्र ही शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि मुकदमा वादी श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह निवासी ग्राम सिंहपुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात ने थाना मंगलपुर पर दिनांक 15.05.2025 को दिये गये प्रार्थना पत्र में तहरीर किया कि वादी व उसके परिवारीजनों के साथ प्रतिवादीगण 1. अजय सिंह उर्फ सत्तू सिंह पुत्र सरनाम सिंह, 2. विमल सिंह पुत्र सरनाम सिंह, 3. शिवम सिंह पुत्र विमल सिंह समस्त निवासीगण ग्राम सिंहपुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा गाली गलौज करते हुये ईंट पत्थर फेंकना व जान से मारने की नीयत से वादी व उसके परिवारीजन पर फायर करना तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दिया, प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मंगलपुर पर मु0अ0सं0 200/2025 धारा 109(1)/115(2)/125/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अजय सिंह उर्फ सत्तू सिंह पुत्र सरनाम सिंह उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम सिंहपुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात को दिनांक 15.05.2025 को दौराने चैकिंग गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के पास से एक अदद तंमचा 315 बोर व एक नाल में फसा हुआ खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

बरामद हुआ। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी तथा गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त अजय सिंह उर्फ सत्तू सिंह उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 15.05.2025 को मेरे घर के सामने बलवीर सिंह पुत्र रघुवीर सिंह के यहाँ की काफी गाडियां आयी थी जो मेरे घर के सामने खडी थी जब वह लोग चले गये तब मैंने कहा कि यहाँ पर मजमा न लगाओ इसी बात पर बात बढ गयी तो मैंने आवेश में आकर फायर कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अजय सिंह उर्फ सत्तू सिंह पुत्र सरनाम सिंह उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम सिंहपुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 16/2023 धारा 323/504 भादवि थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात
2. मु0अ0सं0 355/2022 धारा 323/504/506 भादवि थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात
3. मु0अ0सं0 354/2022 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात
4. मु0अ0सं0 161/2024 धारा 323/504/506/34 भादवि व 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात
5. मु0अ0सं0 178/2018 धारा 323/504/506 भादवि थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात
6. मु0अ0सं0 200/2025 धारा 109(1)/115(2)/125/352/351(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात

गिरफ्तार करने वाली थाना मंगलपुर पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री लक्ष्मण सिंह चौकी प्रभारी झींझक
2.उ0नि0 श्री बृजमोहन
3.हे0कां0 109 मुकेश कुमार
4. हे0का0 89 कृष्णप्रताप सिंह
5. हे0का0 357 सुरजेश कुमार